RNI No. MAHBIL /2009/31730

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ११, अंक ११] बुधवार, जून ४, २०२५/ज्येष्ठ १४, शके १९४७ [पृष्ठे ८, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक १६

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

उद्योग, ऊर्जा, श्रम और खनन विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,
मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित २ जून २०२५।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. IV OF 2025.

AN ORDINANCE

TO PROVIDE FOR ESTABLISHMENT OF THE GADCHIROLI DISTRICT MINING AUTHORITY FOR THE PURPOSES OF CO-ORDINATING AND SUPERVISING ORDERLY AND RAPID DEVELOPMENT OF THE MINERAL BEARING AREAS IN THE GADCHIROLI DISTRICT AND EXECUTING PLANS, PROJECTS AND SCHEMES FOR SUCH DEVELOPMENT AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ४ सन् २०२५।

गढ़चिरौली जिले में खनिजयुक्त क्षेत्रों के सुव्यवस्थित और जल्द विकास के समन्वय और पर्यवेक्षण तथा ऐसे विकास के लिए योजनाओं, परियोजनाओं और स्कीमों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए गढ़चिरौली जिला खनन प्राधिकरण की स्थापना करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने संबंधि अध्यादेश।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, गढ़चिरौली जिले में खनिजयुक्त क्षेत्रों के सुव्यवस्थित और जल्द विकास का समन्वयन और पर्यवेक्षण करने तथा ऐसे विकास के लिए योजनाओं, परियोजनाओं और स्कीमों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए गढ़चिरौली जिला खनन प्राधिकरण की स्थापना करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, विस्तार और प्रयुक्ति।

१. (१) यह अध्यादेश गढ़चिरौली जिला खनन प्राधिकरण अध्यादेश, २०२५ कहलाए।

(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

(३) इसका विस्तार गढ़चिरौली जिले के क्षेत्र तक होगा।

(४) यह प्रमुख खनिजों और विनिर्दिष्ट लघु खनिजों को लागू होगा।

परिभाषाएँ।

२. (१) इस अध्यादेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) " प्राधिकरण " का तात्पर्य, इस अध्यादेश की धारा ३ की, उप-धारा (१) के अधीन स्थापित प्राधिकरण से है ;

(ख) " निगम " का तात्पर्य, महाराष्ट्र राज्य खनन निगम मर्यादित से है ;

(ग) " निदेशालय " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार के उद्योग, ऊर्जा, श्रम और खनन विभाग के अधीन भूविज्ञान और खनन निदेशालय से है ;

(घ) " कार्यकारी समिति " का तात्पर्य, इस अध्यादेश की धारा ९ के अधीन गठित कार्यकारी समिति से है ;

(ङ) " सरकार " या " राज्य सरकार " का तात्पर्य महाराष्ट्र सरकार से है ;

(च) " खान और खनिज अधिनियम " का तात्पर्य, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५७ से है ; सन् १९५७ का ६७।

(छ) " खनिज " में खनिज तेलों को छोड़कर सभी खनिज शामिल हैं ;

(ज) " खनिजयुक्त पट्टा " का तात्पर्य, खनन पट्टा, समग्र अनुज्ञप्ति और अन्वेषण अनुज्ञप्ति जैसे खनिज रियायत के विकास के लिए खनिज (खनिज सामग्री के सबूत) नियम, २०१५ के उपबंधों के अधीन खनन पट्टा या समग्र अनुज्ञप्ति के लिए तैयार किये गये क्षेत्र से है ;

(झ) " खनिजयुक्त क्षेत्र विकास " का तात्पर्य, अपने व्याकरणिक रूपों के साथ-साथ, खनन पट्टा, समग्र अनुज्ञप्ति, खनिज अन्वेषण, संबद्ध खनन गतिविधि और अन्य समान गतिविधियों के लिए खनिजयुक्त क्षेत्रों के भीतर विकास से हैं ;

(ञ) " विहित " का तात्पर्य, इस अध्यादेश के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित से है ;

(ट) " विनियमन " का तात्पर्य, इस अध्यादेश के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमनों से हैं ;

(ठ) " विनिर्दिष्ट लघु खनिज " का तात्पर्य चूना पत्थर, चूना खोल, बेंटोनाइट, मुल्तानी मिट्टी या ऐसा अन्य खनिज जिसे केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर **राजपत्र** में विनिर्दिष्ट किया जा सके और भारतीय खनन ब्यूरो द्वारा अधिसूचित सीमा मूल्य से कम है, से हैं ।

(२) इस अध्यादेश में प्रयुक्त किए गए परन्तु इसमें परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार द्वारा खान और खनिज अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों में क्रमशः उन्हें समनुदेशित किया गया है।

प्राधिकरण की स्थापना।

३. इस अध्यादेश के प्रारम्भन के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और इस अध्यादेश के अधीन इसे समनुदेशित कृत्यों का अनुपालन करने के लिए, " गढ़चिरौली जिला खनन प्राधिकरण" नामक एक प्राधिकरण की स्थापना कर सकेगी।

प्राधिकरण की संरचना।

४. (१) प्राधिकरण निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

(एक)	मुख्यमंत्री	अध्यक्ष;
(दो)	मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्देशित किया जानेवाला एक मंत्री	सह-अध्यक्ष;
(तीन)	मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्देशित किया जानेवाला एक मंत्री	उपाध्यक्ष;
(चार)	मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्देशित किए जानेवाले दो मंत्री	पदेन सदस्य;
(पाँच)	मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार	पदेन सदस्य;
(छह)	सचिव (खनन), उद्योग, ऊर्जा, श्रम और खनन विभाग	पदेन सदस्य;
(सात)	सचिव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा, श्रम और खनन विभाग	पदेन सदस्य;
(आठ)	सचिव (श्रम), उद्योग, ऊर्जा, श्रम और खनन विभाग	पदेन सदस्य;
(नौं)	सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा, श्रम और खनन विभाग	पदेन सदस्य;
(दस)	सचिव, वित्त विभाग	पदेन सदस्य;
(ग्यारह)	सचिव, पर्यावरण और वातावरणीय बदलाव विभाग	पदेन सदस्य;
(बारह)	सचिव (राजस्व), राजस्व और वन विभाग	पदेन सदस्य;
(तेरह)	सचिव (वन), राजस्व और वन विभाग	पदेन सदस्य;
(चौदह)	महानिदेशक, भूविज्ञान और खनन निदेशालय	पदेन सदस्य;
(पंद्रह)	जिलाधिकारी गढ़चिरौली जिला	पदेन सदस्य;
(सोलह)	प्रबंध निदेशक, महाराष्ट्र राज्य खनन निगम मर्यादित ।	सदस्य-सचिव।

(२) प्राधिकरण, किसी मामले या मामलों पर सहायता या सलाह देने के प्रयोजनों के लिए विशेष आमंत्रिती के रूप में अपनी बैठक या बैठकों में भाग लेने के लिए सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के किसी अधिकारी को आमंत्रित कर सकेगा। इस प्रकार आमंत्रित अधिकारी प्राधिकरण की कार्यवाही में भाग ले सकेगा परन्तु, उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(३) कोई व्यक्ति जिसके आधार पर उसे इस प्रकार नियुक्त किया गया है वह उस पद, पदनाम या, यथास्थिति, अधिकारिक पद धारण करने से बंद होने पर, यथा संभव शीघ्र, प्राधिकरण के सदस्य के रूप में पद धारण करना बंद करेगा और ऐसा व्यक्ति प्राधिकरण के सदस्य होने से इसप्रकार परिविरत होने के बारे में एक सप्ताह के भीतर अध्यक्ष को लिखित रूप में सूचित करेगा।

(४) निगम का प्रबंध निदेशक प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और वह ऐसी शक्तियों का उपयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जैसा कि प्राधिकरण निदेशित कर सके।

प्राधिकरण की बैठकें।

५. (१) प्राधिकरण, प्रत्येक वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक लेगा, तथा दो अनुक्रामिक बैठकों के बीच चार महीने से अधिक का अंतराल नहीं होगा।

(२) प्राधिकरण की बैठक नागपुर में या अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित की जा सके ऐसे किसी अन्य स्थान पर आयोजित की जाएगी ।

(३) बैठक की गणपूर्ति अध्यक्ष समेत न्यूनतम नौ सदस्यों से होगी।

प्राधिकरण के उद्देश्य ।

६. प्राधिकरण के निम्न उद्देश्य होंगे, अर्थात्:-

(क) गढ़चिरौली जिले में प्रमुख तथा विनिर्दिष्ट लघु खनिज पट्टों के विकास की प्रक्रिया में तेजी लाना;

(ख) विभिन्न खनिज रियायत धारकों तथा खनिज आधारित उद्योगों के बीच समन्वय करना;

(ग) अल्ट्रा मेगा स्टील प्लांट की स्थापना को सुकर करना तथा उन्हें लोह खनिज कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करना;

(घ) गढ़चिरौली जिले को इस्पात हब (स्टील हब) के रूप में विकास करना;

(ङ) गढ़चिरौली जिले में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना तथा सुविधा के लिए उपाय करना;

(च) गढ़चिरौली जिले में खनन परियोजनाओं की निगरानी करना।

कृत्य और कार्यवाहियाँ उचित और वैध मानी जायेगी।

७. प्राधिकरण या कार्यकारी समिति का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल उसमें रिक्ति होने या अध्यक्ष या सह-अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करनेवाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में किसी त्रुटि के कारण अमान्य नहीं होगी, यदि ऐसा कृत्य या कार्यवाही अन्यथा इस अध्यादेश के उपबंधों के अनुसार है।

प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य।

८. प्राधिकरण की निम्न शक्तियाँ का उपयोग और निम्न कर्तव्यों का अनुपालन करेगा, अर्थात्:-

(क) खान और खनिज अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में गढ़चिरौली जिले में प्रमुख और विनिर्दिष्ट गौण खनिजों के सुव्यवस्थित विकास को सरलीकृत और जल्द गति से करना;

(ख) खान और खनिज अधिनियम, खनिज रियायत नियम, १९६०, खनिज (नीलामी) नियम, २०१५ और इस संबंध में केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा विरचित अन्य नियमों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करना;

(ग) खदानों के संचालन की प्रक्रिया में तेजी लाना;

(घ) सभी संबंधित विभागों और सफल बोलीदाताओं के समन्वय में खनिज पट्टों के विकास और खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में गति लाना;

(ड़) गढ़चिरौली जिले में सभी महत्वपूर्ण प्रमुख खनिज परियोजनाओं और विनिर्दिष्ट लघु खनिज परियोजनाओं की समीक्षा और निगरानी करना, उन खदानों का शीघ्र संचालन करना जिनमें नीलामी पट्टा और निगम को आबंटित पट्टा शामिल होंगे;

(च) गढ़चिरौली जिले में खनन के विकास के लिए योजनाएं तैयार करना और उनकी समीक्षा करना;

(छ) निदेशालय की तकनीकी सिफारिशों के अनुसार नीलामी के लिए प्रस्तावित गढ़चिरौली जिले में प्रमुख खनिज पट्टों और निर्दिष्ट खनिज पट्टों की जाँच करना और सिफारिश करना तथा समयबद्ध रीत्या सफलतापूर्वक नीलाम किए गए ऐसे पट्टों के परिचालन करने के लिए आवधिक रूप से निगरानी करना;

(ज) केंद्र सरकार द्वारा निगम के लिए लोह खनिज क्षेत्र को आरक्षित करने के पश्चात् खदान विकासकर्ता और प्रचालक (एमडीओ) के ज़रिए लोह खनिज पट्टों के विकास के लिए गढ़चिरौली जिले में इस्पात संयंत्रों को लोह खनिज की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना;

(झ) गढ़चिरौली जिले में खनन क्षेत्र का समग्र विकास करने के लिए राज्य सरकार व्दारा जिसे ऐसी शक्तियाँ प्रत्यायोजित की है, ऐसे किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा नीलामी की आवश्यकतावाले किसी भी मामले या प्रस्ताव की राज्य सरकार को सिफारिश करना;

(ञ) परियोजनाओं और स्कीमों से विस्थापित हुए व्यक्तियों को वैकल्पिक आवास देने और उनके पुनर्वास के लिए योजनाएँ तैयार करना और उन्हें कार्यान्वित करना;

(ट) जैसा कि विहित किया जाए ऐसी कोई अन्य शक्तियाँ और कार्य।

कार्यकारी समिति की संरचना।

९. (१) प्राधिकरण की एक कार्यकारी समिति होगी, जिसमें निम्न सदस्य होंगे, अर्थात्: -

(एक)	मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार	अध्यक्ष;
(दो)	सचिव (खनन), उद्योग, ऊर्जा, श्रम और खनन विभाग	पदेन सदस्यः
(तीन)	सचिव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा, श्रम और खनन विभाग	पदेन सदस्यः
(चार)	सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा, श्रम और खनन विभाग	पदेन सदस्यः
(पाँच)	सचिव (राजस्व), राजस्व और वन विभाग	पदेन सदस्यः
(छह)	सचिव (वन), राजस्व और वन विभाग	पदेन सदस्यः
(सात)	सचिव, पर्यावरण और वातावरण बदलाव विभाग	पदेन सदस्यः
(आठ)	सचिव, वित्त विभाग	पदेन सदस्यः
(नौ)	महानिदेशक, भूविज्ञान और खनन निदेशालय	पदेन सदस्यः
(दस)	जिलाधिकारी, गढ़चिरौली	पदेन सदस्यः
(ग्यारह)	प्रबंध निदेशक, महाराष्ट्र राज्य खनन निगम मर्यादित	सदस्य-सचिव।

(२) कार्यकारी समिति किसी मामले या मामलों पर सहायता या सलाह देने के प्रयोजन के लिए विशेष आमंत्रिति के रूप में अपनी बैठक या बैठकों में भाग लेने के लिए सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी को आमंत्रित कर सकेगी। इस प्रकार आमंत्रित अधिकारी समिति की कार्यवाही में भाग ले सकेगा परन्तु, उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(३) कार्यकारी समिति उसके अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाए ऐसे स्थान और ऐसे समय पर बैठक लेगी, तथा वह अवधारित करे ऐसी उसकी बैठको में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी।

(४) कार्यकारी समिति, समय-समय पर यह निदेश दे सकेगी कि इस अध्यादेश के उपबंधों द्वारा या के अधीन उसपर प्रदत्त की गई है कोई शक्ति और समुनुदेशित किन्ही कार्यों के लिए निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा प्रयोग किया जायेगा या अनुपालन किया जायेगा।

कार्यकारी समिति की शक्तियाँ और कार्य।

१०. प्राधिकरण के पर्यवेक्षण के अध्यधीन कार्यकारी समिति निम्नलिखित शक्तियों का उपयोग करेगी और निम्न कार्यों का अनुपालन करेगी, अर्थात्:-

(क) निगम के लिए आरक्षित खनिज पट्टों के परिचालन करने के लिए निविदाओं के निबन्धनों और शर्तों को सुनिश्चित करना और खान विकासकर्ता और प्रचालक (एम डी ओ)की नियुक्ति के लिए निविदा मंजूर करना ;

(ख) प्राधिकरण द्वारा उसे समनुदेशित की गई कोई अन्य शक्तियाँ और कार्यों।

कार्यवाहियों का प्रमाणीकरण।

११. प्राधिकरण और कार्यकारी समिति की सभी कार्यवाहियाँ प्राधिकरण, या यथास्थिति, कार्यकारी समिति के अध्यक्ष या इस संबंध में प्राधिकरण या कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत उसके किसी सदस्य के हस्ताक्षर द्वारा लिखतों को प्रमाणित की जाएगी, और प्राधिकरण के सभी अन्य आदेशों और लिखतों को प्राधिकरण या कार्यकारी समिति के सदस्य सचिव द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

खान और खनिज अधिनियम तथा नियमों का अनुपालन।

१२. प्राधिकरण और कार्यकारी समिति इस अध्यादेश के अधीन शक्तियों का उपयोग और कृत्यों का अनुपालन करते समय खान और खनिज अधिनियम के उपबंधों तथा तध्दीन बनाए गए नियमों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी।

प्राधिकरण की विवरणी, रिपोर्ट आदि, मांगने की शक्तियाँ।

१३. प्राधिकरण तथा कार्यकारी समिति को इस अध्यादेश या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपनी शक्तियों का उपयोग तथा अपने कर्तव्यों के अनुपालन में अपेक्षित कोई विवरणी, लेखा विवरण, रिपोर्ट, सांखिकी आंकडे या अन्य जानकारी सरकारी कार्यालयों या अन्य संबंधित प्राधिकरणों से मांगने की शक्ति होगी तथा ऐसा कार्यालय या प्राधिकरण ऐसी जानकारी देने के लिए बाध्य होगा।

प्रत्यायोजन की शक्ति।

१४. प्राधिकरण इस अध्यादेश द्वारा या के अधीन या उसके द्वारा उपयोग की जानेवाली किसी शक्ति या उसके द्वारा निष्पादित किए जानेवाले किसी कार्य या किसी कर्तव्य को निगम की कार्यकारी समिति या प्रबंध निदेशक को ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन समनुदेशित कर सकेगा, जैसा कि वह विनिर्दिष्ट करे।

सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण।

१५. इस अध्यादेश के अधीन सद्भावनापूर्वक कृत किसी कार्य या की गयी किसी कार्यवाही के लिए इस अध्यादेश के अधीन गठित प्राधिकरण या कार्यकारी समिति के किसी भी सदस्य के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी।

प्राधिकरण का व्यय।

१६. प्राधिकरण और कार्यकारी समिति का व्यय निगम और निदेशालय द्वारा वहन किया जाएगा।

नियम बनाने की शक्ति।

१७. (१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(२) इस अध्यादेश के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो कि चाहे एक सत्र में हो या दो अनुक्रमिक सत्रों में हो और यदि उस सत्र की समाप्ति के पूर्व जिसमें वह रखा गया हो या उसके ठीक बाद के सत्र की समाप्ति के पूर्व, दोनों सदन नियम में कोई संशोधन करने पर सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हैं कि नियम नहीं बनाया जाए, और उस आशय का अपना विनिश्चय **राजपत्र** में अधिसूचित कर सके, तो नियम, **राजपत्र** में ऐसे विनिश्चय के प्रकाशन के दिनांक से, केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, निष्प्रभावी होगा; तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या बातीलीकरण उस नियम के अधीन पहले की गई या किए जाने से छोड़ी गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

विनियम बनाने की शक्ति।

१८. प्राधिकरण, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, समय-समय पर, इस अध्यादेश और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से असंगत न होनेवाले विनियम बना सकेगा, उन सभी या किन्हीं मामलों के लिए जिन्हें इस अध्यादेश के अधीन विनियमों द्वारा उपबंधित किया जाता है और सामान्यतया उन सभी अन्य मामलों के लिए जिनके लिए प्राधिकरण की राय में इस अध्यादेश के अधीन अपनी शक्तियों के उपयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए उपबंध करना आवश्यक है।

कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति।

१९. (१) इस अध्यादेश के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अध्यादेश के उपबंधों से असंगत न होनेवाली कोई भी बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

वक्तव्य

महाराष्ट्र राज्य के पूर्वी भागों में स्थित गढ़चिरौली जिले में लोह खनिज संसाधन, हेमॅटाइट, मैग्नेटाइट, बी एच क्यू, चूना पत्थर, डोलोमाइट, कोयला आदि, प्रचुर मात्रा में लोह खनिज से समृद्ध है, और ऐसे लोह खनिज का विभिन्न विनिर्माण उद्योगों के लिए कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है। गढ़चिरौली जिला लोह खनिज में समृद्ध होने से खनिज आधार पर उद्योंगों विशेषतः इस्पात उद्योगों के केन्द्र के रूप में विकास करने की उनकी क्षमता है।

२. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५७ (सन् १९५७ का ६७)और तद्धीन विरचित नियम खदानों और खनिजों के विकास और विनियम का नियमन करते है। खनिज (नीलामी) नियम, २०१५ के अनुसरण में प्रमुख खनिज पट्टों की नीलामी की जाती है। खनन रियायत धारकों को सन् २०१५ के उक्त नियमों में विहित समय-सीमा के भीतर सरकार के विभिन्न विभागों और जिला कार्यालयों तथा स्थानीय प्राधिकरणों से विभिन्न मंजूरियाँ और आक्षेप न होने का प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करने की आवश्यकता होती हैं। यदि बोलीदाता उक्त विहित समय-सीमा को पूरा करने में विफल होता है तो आबंटित प्रमुख खनिज पट्टों की फिर से नीलामी करने की आवश्यकता है।

३. वर्तमान में, एकीकृत प्रशासनिक यंत्रणाओं के अभाव में, खनिज परियोजना का तेजी से निष्पादन करने में बाधा आती है। अतः, खनन कार्यों को जल्द गति से अनुमोदन देने के लिये और इस्पात तथा सीमेंट जैसे खनिज आधारित उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता के तहत् सरकार के संबंधित विभागों के कुछ मंत्रियों और सचिवों से मिलकर एक एकीकृत प्राधिकरण के गठन की जरूरत महसूस की गयी है जिससे गढ़चिरौली जिले और परिणामस्वरूप, राज्य के समग्र विकास में गति आयोगी। प्राधिकरण मंजूर खनन पट्टों के कार्यान्वयन की प्रक्रीया को गति देने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। उक्त क्षेत्र में रोजगार का भी निर्माण होगा और राज्य के राजस्व को बढ़ावा मिलेगा।

४. प्रस्तावित विधि की मुख्य विशेषताएं यथा निम्न हैं :—

(एक) गढ़चिरौली जिले में पाये जानेवाले प्रमुख और विनिर्दिष्ट लघु औद्योगिक खनिजों दोनों के सुव्यवस्थित विकास को सरलीकृत करने और गति बढ़ाने के लिए गढ़चिरौली जिला खनन प्राधिकरण की स्थापना करना ;

(दो) पर्यावरण सुरक्षा और सांविधनिक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए गढ़चिरौली जिले में खनन कार्यों में गति लाने की दृष्टि से प्राधिकरण के उद्देशों, शक्तियों और कृत्यों के लिए उपबंध करना ;

(तीन) प्राधिकरण का कार्य सुविधाजनक करने के लिए कार्यकारी समिति के गठन करने और उसकी शक्तियों और कृत्यों के लिए उपबंध करना ;

(चार) यह उपबंध करना कि, प्राधिकरण और कार्यकारी समिति अपने कार्यों का उपयोग और कृत्यों का अनुपालन करते समय खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५७ और तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुपालन के लिए उपबंध कराना ;

(पाँच) प्राधिकरण और कार्यकारी समिति को सरकारी कार्यालयों या अन्य संबंधित प्राधिकरणों से लेखा विवरण, रिपोर्ट, सांख्यिकी आंकडे, या अन्य जानकारी मांगने की शक्ति प्रदान करना।

५. चूंकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदन सत्र नहीं चल रहा हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें, इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए एक विधि बनाने हेतु सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

सी. पी. राधाकृष्णन,
महाराष्ट्र के राज्यपाल।

मुंबई,

दिनांकित २९ मई २०२५।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

डॉ. इकबाल सिंह चहल,
सरकार के अप्पर मुख्य सचिव।

(यथार्थ अनुवाद),

श्रीमती विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.